

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
GOVERNMENT OF INDIA, ANDHERI (EAST)
MUMBAI - 400 096.

Tel. 28294722/28294735

Fax: 28291385/28291754

E-mail: dcseepz-mah@nic.in

web: www.seepz.org

सं. सीपज़ - सेज़/न्यू सेज़/ पी एन/ 331/2011-12/8129

दिनांक - 19.05.2015

परिपत्र सं. 49/2015

विषय: बॉन्ड-कम-लीगल अंडरटेकिंग

यूनिटों के लिए फिजिकली तथा ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से बॉन्ड-कम-लीगल अंडरटेकिंग भिजवाया जाना आवश्यक है। कभी - कभी ऐसा होता है कि अधिकारी के बदल जाने से उनका डिजिटल हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से ऑनलाइन प्रोसेस करने में विलंब हो जाता है। ऐसी पारिस्थितियों में निर्यातकों के माल के क्लीयरेंस में विलंब न हो, विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले विनिर्दिष्ट अधिकारियों तथा प्राधिकृत अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे बॉन्ड-कम-लीगल अंडरटेकिंग जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो, के फिजिकल कापी के आधार पर आयात तथा निर्यात की अनुमति दिया करें।

यह विकास आयुक्त, सीपज़ - सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी. एस. रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़ सेज़

प्रति :

1. विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकारी - क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारि
2. सूचना - पट्ट